

Submission of Public Notice made in Newsletter for 24th Annual General Meeting
Information & Issue Closure.

Int to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Date : 03.09.2020

**Shivalik Rasayan Limited**

Regd. Office: Village Kolhupani, P. O. Chandanwari, Dehradun - 248007
(CIN: L24237UR1979PLC005041)
E-mail: cs@shivalikrasayan.com, Website: www.shivalikrasayan.com

**NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES**

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Monday, September 28, 2020, at 10:00 A.M. at under Samron Leaf GMS Road Dehradun, Uttarakhand-248146 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM. The Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on all the resolution as set out in the said Notice.

Notice of the AGM together with the Annual Report for the financial year March 31, 2020 and procedure of the e-voting has been sent to all the Members in electronic mode whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Notice and the Annual Report for the financial year ended on March 31, 2020 are also available on the Company's website at: www.shivalikrasayan.com and at the website of CDSL: https://www.evotingindia.com

In Compliance the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company has appointed M/s AMJ & Associates, Practising Company Secretaries Firm as the Scrutinizer to Scrutinize the e-voting process and voting through Ballot/Polling paper at the venue of the AGM. The details as per the requirement of the Rules are given hereunder:

1. A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial owner maintained with the depository as on the cut-off date, i.e. September 21, 2020 only shall be entitled to avail the facility for e-voting.
2. The e-voting period commences on Friday, September 25, 2020 at 09:00 a.m. and will be continued on Sunday, September 27, 2020 at 5:00 p.m., in term of Rule 20(4)(vi) of the Chapter VII of the Companies Act, 2013.
3. The Members who have cast their vote by e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
4. The final dividend, if declared at the AGM, shall be paid/credited on or before October 28, 2020 as under to those Members of the Company:
 - (i) Whose names appear in the Company's Register of Members in respect of shares held in physical form, after giving effect to all valid shares transfers lodged with the Company on or before the close of business hours on Monday, September 21, 2020
 - (ii) Whose names appears as beneficial owners in respect of shares held in demat form, as per details furnished for this purpose by the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), as of close of business hours on Monday, September 21, 2020.
5. The Members who have not cast their vote by e-voting shall be able to vote at the Meeting through ballot paper.
6. Members may contact Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. for any grievance(s) related to electronic voting by writing to them at beetalrta@gmail.com or calling them on 011-29961281/82 between 10:00 A.M. to 5:00 P.M.
7. The results of voting would be declared by the Chairman on the date of AGM and the same will also be posted on the Company's website at www.shivalikrasayan.com

Further, Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from September 22, 2020 to September 28, 2020 (both days inclusive).

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the Meeting instead of himself/ herself and the proxy need not be a Member. The proxy forms should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

For Shivalik Rasayan Limited
Sd/-
Parul Choudhary
Company Secretary

Place: Delhi
Date : 07.09.2020

VIKAS ECOTECH LIMITED

CIN: L65999DL1984PLC019465
Regd. Office: 34/1 Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, New Delhi
Email: cs@vikasecotech.com; Website: www.vikasecotech.com, Ph: 011-

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING A

Notice is hereby given that:

1. The 35th Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on September 28, 2020 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular/s") without the objection of the Registrar of Companies.

September 29, 2020. Remote e-voting shall not be allowed after September 29, 2020 and once the vote on a resolution is cast, it shall not be allowed to change it subsequently.

Members of the Company after dispatch of the Notice but on or after September 29, 2020, or has registered the e-mail address after September 29, 2020 may obtain the user ID and password in the manner as mentioned in the Notice.

Modes of e-voting.

Members of the Company who are entitled to cast their vote prior to the AGM may attend the AGM and be entitled to cast their vote again. Members who are not attending the AGM may e-vote prior to the AGM through VC/Other Audio Facility or e-voting at the AGM.

Members are requested to register the same in the manner as mentioned in the Notice. Members with the Depository through their Depository Participant (DP) are requested to register the same in physical form by writing to the Company's Registrar, Sharex Dynamic India Private Limited, C 101, 247, Naraina, New Delhi - 110028, Maharashtra ("RTA") having web address at Email: support@sharexindia.com and a copy marked to the Company at the same address.

Regarding e-voting or any technical assistance or

Members may contact NSDL at toll free no.: 1800-222222 or nsdl.co.in and Members may also contact Mr. Ravi K. Chaudhary, NSDL, 4th Floor, 'A' Trade World, Kamala Mills Compound, Parel, Mumbai-400013 at 022-24994545 or write to the same for further clarifications.

Sharex Dynamic India Limited

of

re

Pl

De

ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

CIN: L10OR1955PLC000310
Rajgangpur, Sundergarh, Odisha 750 017, India
220 332; Fax: +91 06624 220 332
E-mail: companysecretary@electrosteel.com

NOTICE OF THE ANNUAL REPORT 2019-20**ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED**

Notice is hereby given that the Annual Report of Electrosteel Castings Limited for the financial year ended March 31, 2020, to be considered and adopted by the Members of the Company at the AGM of the Company, scheduled to be held on September 28, 2020, through video conferencing ("VC") or other audio-visual facilities as mentioned in the Notice of the AGM dated 13 August, 2020 and AGM Notice, were despatched to the Members of the Company.

The following typographical corrections in the aforesaid

'Annual Report', the table appearing under Para E(b) of the Annual Report, shall be read as:

(Rs. in Crores)

Year ended March 31, 2020

Year ended March 31, 2019

Year ended March 31, 2018

Year ended March 31, 2017

Year ended March 31, 2016

Year ended March 31, 2015

Year ended March 31, 2014

Year ended March 31, 2013

Year ended March 31, 2012

Year ended March 31, 2011

Year ended March 31, 2010

Year ended March 31, 2009

Year ended March 31, 2008

Year ended March 31, 2007

Year ended March 31, 2006

Year ended March 31, 2005

Year ended March 31, 2004

Year ended March 31, 2003

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष डॉ. नरेश सिंह नपलच्याल, महासचिव डॉ. मनोज वर्मा एवं डॉ. एन.एस बिष्ट ने संघ की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की। संघ के मामलों पर बिन्दुवार चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मांगों को गम्भीरता से लिया जायेगा एवं सकारात्मक सहयोग किया जायेगा। प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपना आन्दोलन

तत्काल वापस लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जिस लगन से वे जन सेवा कर रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों व उनके परिजनों द्वारा भी चिकित्सकों के कठिन तपस्या की सराहना की गई। प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष डॉ. नरेश सिंह नपलच्याल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा विभिन्न मांगों पर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिये जाने पर संघ ने अपना आन्दोलन तत्काल वापस लेने का निर्णय लिया है।

टीआईसी योजना लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। उत्तराखण्ड में होमस्टे पर्यटन राज्य में समग्र पर्यटन विकास का एक बड़ा हिस्सा है। उत्तराखण्ड में पर्यटन के पुनरूद्धार के लिए गुहस्थी की कुंजी हो सकती है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। उत्तराखण्ड कैबिनेट ने हाल ही में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के साथ मिलकर पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना (टीआईसी) शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को प्रोत्साहित करने की यह नवीनतम पहल बड़े पैमाने पर पर्यटन उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होगी।

यह योजना लागू करने वाला उत्तराखण्ड पूरे देश में पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड के अलावा हाल ही में जापान, सिसिली और साइप्रस में भी इसी तरह की प्रोत्साहन आधारित योजनाएं शुरू की गई है। उत्तराखण्ड सरकार ने पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना की शुरूआत की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए



उत्तराखण्ड आने वाले पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ट्रिस्ट कैटेगरी के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना होगा। तीन दिनों तक होटलन्धोमस्टे में रहने पर पर्यटकों को अधिकतम 1000 रुपये या 25 प्रतिशत प्रतिदिन जो भी कम हो, प्रोत्साहन कूपन के रूप में दिया जायेगा जिसे पर्यटकों के होटल के आवासीय बिल में होटल स्वामी द्वारा छूट के रूप में समायोजित किया जायेगा। इस समायोजित छूट की राशि को होटल प्रबन्धन द्वारा बिल व साक्ष्य प्रस्तुत

करने पर विभागीय अनुमोदन के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर प्रतिपूर्ति कर दिया जायेगा। यह योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित ‘‘वोकलफॉर लोकल’’ दर्शाता है। आदिदेव होमस्टे के संचालक धैर्य अरोड़ा ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा शुरू की गई टीआईसी योजना पर्यटकों के साथ-साथ होटल और होमस्टे संचालकों के दृष्टिकोण से भी काफी लाभदायक साबित होगी। यह उत्तराखण्ड सरकार की ओर से एक स्वागत योग्य पहल है

और राज्य में पर्यटन संबंधी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेगी।

प्रोत्साहन कूपन की धनराशि केवल होटलन्धोमस्टे के आवासीय किराये में समायोजित की जायेगी, जो केवल 03 दिनों के आवास पर ही मान्य होगी। कूपन का लाभ प्रति बुकिगधति रात्रि ई-पास एवं कूपन की वैधता के दिन तक मान्य होगी। यह प्रोत्साहन कूपन योजना उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के मसूरी, चकराता, ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र, हरिद्वार के हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र, पौड़ी के कोटद्वार को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र, नैनीताल के काठगोदाम एवं हल्द्वानी के क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र, ऊधमसिंह नगर को छोड़कर शेष समस्त जनपद प्रतिबन्धित क्षेत्र को छोड़कर मान्य होगी। दी गयी सूची को यूटीडीबी द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटक प्रोत्साहन योजना को पाइलट प्रोजैक्ट के रूप में एक माह के लिए लागू किया गया है, जिसमें लगभग 270 लाख का व्ययभार सम्भावित है।

आप ने घर-घर जाकर मापा लोगों का ऑक्सीजन लेवल एवं पल्स

हरिद्वार, (वीओ)। आम आदमी पार्टी द्वारा आपका स्वास्थ्य हमारा संकल्प कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर ऑक्सिमिटर के माध्यम से लोगो का ऑक्सीजन लेवल एवम पल्स नापकर उन्हें स्वास्थ्य संबधी एवम कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पार्टी की जिलाध्यक्ष हेमा भण्डारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा आज से पूरे प्रदेश में ये अभियान हर विधानसभा स्तर पर चलाया जा रहा है जिसमे हर वार्ड में घर घर जाकर ऑक्सिमिटर से नि.पुल्क जांच की जा रही है। आज प्रदेश में हालात बेहत खराब हो रहे है कोरोना संक्रमण के साथ साथ डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है मुख्यमन्त्री स्वयं होम कोरेन्टीन है और शहरी विकास मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। जिला सचिव एवम विधानसभा प्रभारी हरिद्वार शहर अनिल सती ने बताया की अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में ऑक्सिमिटर भेजे है ये अभियान 10 दिन तक चलेगा जिसमे हर वार्ड में अलग अलग टीमें बनाई गई है जो घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। इस अवसर पर हेमा भण्डारी, अनिल सती, पुलकित गोयल, पवन कुमार, अर्जुन सिंह, विधान, शिवम शर्मा उपस्थित रहे।

र्विकेश गुलाटी एफएडीए के 35वें अध्यक्ष नियुक्त

देहरादून, (वीओ)। भारत में ऑंटोमोबाइल रिटेल की शीर्ष राष्ट्रीय संस्था द फेडरेशन ऑफ ऑंटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) ने विकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए एफएडीए के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की। वह उत्तर प्रदेश से भी पहले अध्यक्ष हैं। यह निर्णय 298 वीं गर्वागि काउंसिल की बैठक में किया गया था जो कि फेडरेशन की 56 वीं वार्षिक आम बैठक के तुरंत बाद आयोजित की गई थी। श्री गुलाटी यूनाइटेड ऑंटोमोबाइल्स के निदेशक हैं, जिसका संचालन इलाहाबाद और फरीदाबाद से होता है। यूनाइटेड ऑंटोमोबाइल्स 1985 से ऑंटो डीलरशिप व्यवसाय में संलग्न है और महिंद्रा एंड महिंद्रा एवं बजाज ऑंटो के लिए डीलर्स हैं। यूनाइटेड ऑंटोमोबाइल्स यूनाइटेड ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में हुई थी। ग्रुप ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शैक्षिक संस्थान, ऑंटो डीलरशिप, डायनोस्टिक सेंटर, न्यूजपेपर पब्लिकेशन और मेडिकल साइंस के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। इलाहाबाद में इसने 1,000 बिस्तर वाले एक अस्पताल यूनाइटेड मेडिसिटी की स्थापना की है। फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में पिछले दो वर्षों में श्री काले द्वारा किए गए अपार योगदान के लिए एफएडीए इंडिया अपनी सराहना दर्ज करती है। उनके नेतृत्व में, एफएडीएने कई उल्लेखनीय कदम उठाए। इनमें वाहन पंजीकरण-आधारित ओईएम वार बाजार हिस्सेदारी जारी करने के लिए ऑंटो रिटेल रजिस्ट्रेशन के आंकड़े पेश करना और सुप्रीम कोर्ट में बिकने से बच गए बीएस-4 वाहनों के मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाना और फैसले को तकरीबन अपने पक्ष में कर लेना शामिल है। उनके ही मार्गदर्शन में, फेडरेशन को नीति निर्माताओं, ओईएम, ऑंटो डीलर्स और हमसे संबद्ध अन्य उद्योगों ने ऑंटो रिटेल क्षेत्र में सबसे अधिक प्रासंगिक निकाय के रूप में देखा। एफएडीए ने सभी ऑंटो डीलर्स को अपने अम्ब्रेला के तहत एक साथ लाने में भी अहम भूमिका निभाई है।

लंबित शिकायतों की संख्या में अनावश्यक ईजाफा हो रहा है

अल्मोड़ा, (वीओ)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सी0एम0 हैल्प लाईन में जनपद के कतिपय विभागों में से अधिकांश शिकायतें ऐसी है जिनमें एल-1, एल-2 एवं एल-3 स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रही है परिणाम स्वरूप लम्बित शिकायतों की संख्या में अनावश्यक ईजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये थे कि समस्त नोडल अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ विभागों की नित्य सी0एम0 हैल्प लाईन पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्यवाही अमल में लायें इसके बावजूद भी अनुपालन नहीं किया जाना निराशाजनक है। जिलाधिकारी ने बताया कि मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के ढम में समस्त कार्यालयाध्यक्ष सी0एम0 हैल्प लाईन-1905 में लम्बित शिकायतों के सम्बन्ध में अपने-अपने विभागों की प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से समीक्षा करेंगे एवं समीक्षा उपरान्त लम्बित शिकायतों के सम्बन्ध में आख्या/कार्यवृत्त जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

वीर अर्जुन	
देहरादून में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें। राकेश कुमार सैनी मो.9917203013,8449957115	
वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-	
देहरादून:-	सूरज न्यूज एजेंसी मो.-9917203013
रुड़की:-	चन्दर न्यूज एजेंसी प्रो. - श्री चन्द्रभान, दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की मो. - 9927069871
हरिद्वार:-	आत्रे न्यूज एजेंसी प्रो. - श्री अनिल कुमार शर्मा ,जटवाड़ा पुल, हरिद्वार मो.- 9837177797
ऋषिकेश:-	आजाद न्यूज एजेंसी प्रो.- श्री संजीव गुप्ता हरिद्वार रोड, ऋषिकेश मो. - 9837229222